न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (सांचौर)

पीठासीन अधिकारी : हनुमानाराम आर.ए.एस.

मुकदमानम्बर : 3/2024

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
वागाराम पुत्र भलाराम कौम मेघवाल, साकिन केरिया तहसील चितलवाना		राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार चितलवाना जिला सांचौर

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 05/04/2024

उपस्थित :

1. प्रार्थी वागाराम पुत्र भला जाति मेघवाल निवासी केरिया।
2. अप्रार्थी (राजपेरोकार) तहसीलदार चितलवाना।

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वागाराम पुत्र भला जाति मेघवाल निवासी केरिया तहसील चितलवाना ने धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पेश किया कि वाके सरहद मौजा केरिया पटवार हल्का केरिया मे मुझ प्रार्थी की पैतृक खातेदारी का खेत खाता संख्या 470 के खसरा संख्या 1495, खसरा संख्या 1766, खसरा संख्या 1767, खसरा संख्या 1784 कुल रकबा 5.57 हैक्टर का आया हुआ है। मुझ प्रार्थी का जमाबंदी मे नाम वागा पुत्र भला दर्ज है जो गलत नाम दर्ज है। जबकि आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड में मुझ प्रार्थी का नाम वागरराम पुत्र भलाराम दर्ज है, जो सही है। बचपन मे मुझ प्रार्थी को घर पर प्यार से सब वागा नाम से पुकारते थे जिसकी वजह से राजस्व रेकर्ड मे वागा पुत्र भला दर्ज कर दिया। जबकि वास्तविक सही नाम वागाराम पुत्र भलाराम जाति मेघवाल निवासी केरिया है। इसलिए मै अपना नाम खातेदारी की भूमि तमाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी आदि मे अपना नाम वागा की जगह वागाराम पुत्र भलाराम करवाना चाहता हू। अतः मुझ प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड मे वागा पुत्र भला की जगह वागाराम पुत्र भलाराम किया जावे।

प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दिनांक 25.01.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किया गया राजपैरोकार तहसीलदार चितलवाना द्वारा पेश जवाब अनुसार प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत् कोई आपत्ति नहीं है। परिवादी वागाराम वल्द भलाराम की पैतृक खातेदारी भूमि मौजा केरिया के खेत खाता संख्या 470 के खसरा संख्या 1495, खसरा संख्या 1766, खसरा संख्या 1767, खसरा संख्या 1784 कुल रकबा 5.57 हैक्टर की आई हुई है। जिसमे परिवादी का नाम वागा पुत्र भला दर्ज है। जिसे प्रार्थी शुद्ध कर वागाराम पुत्र भलाराम दर्ज करवाना चाहता है। मजमे आम मे पुछताछ करने व प्रार्थी के सभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:40:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (सांचौर)

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

दस्तावेज जांचने पर प्रार्थी का वास्तविक नाम वागाराम पुत्र भलाराम होना बताया गया है। अतः प्रार्थी का नाम वागा पुत्र भला के स्थान पर वागाराम पुत्र भलाराम शुद्व करने की अनुशंषा सहित जवाब पेश है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया। सरहद मौजा केरिया पटवार हल्का केरिया के खेत खाता संख्या 470 के खसरा संख्या 1495, खसरा संख्या 1766, खसरा संख्या 1767, खसरा संख्या 1784 कुल रकबा 5.57 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी का नाम वागा पुत्र भला दर्ज है, जबकि पत्रावली पर प्रस्तुत अन्य दस्तावेज में वागाराम पुत्र भलाराम दर्ज है। जिसे प्रार्थी दुरूस्त कर वागाराम पुत्र भलाराम करवाना चाहता है तहसीलदार चितलवाना द्वारा प्रस्तुत जवाब में दुरूस्ती बाबत् कोई आपत्ति नही है अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चितलवाना को आदेश दिया जाता है कि वाके सरहद मौजा केरिया पटवार हल्का केरिया के खेत खाता संख्या 470 के खसरा संख्या 1495, खसरा संख्या 1766, खसरा संख्या 1767, खसरा संख्या 1784 कुल रकबा 5.57 हैक्टर प्रार्थी की खातेदारी आराजी मे राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम वागा पुत्र भला के बजाय वागाराम पुत्र भलाराम दर्ज किया जावे। तहसीलदार चितलवाना को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

(हनुमाना राम RAS)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 05/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

(हनुमाना राम RAS)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:40:14 IST
Reason: SelfAttested